



Real Estate Regulatory Authority | भू-सम्पदा  
Madhya Pradesh | विनियामक प्राधिकरण  
मध्य प्रदेश

रेरा भवन, अरेरा हिल्स, मेन रोड नं. 1, भोपाल-462011

प्ररूप "ग"  
{नियम 6 (1) देखिए}

## परियोजना का पंजीयन प्रमाण-पत्र

यह पंजीयन अधिनियम की धारा 5 के अधीन निम्नलिखित परियोजना को परियोजना पंजीयन क्रमांक **P-RWA-21-3052**  
अधीन मंजूर किया जाता है:-

**प्रोजेक्ट - विंध्य प्राइड - रीवा - म.प्र.**

(परियोजना पते को सम्मिलित करते हुए परियोजना के ब्यौरे विनिर्दिष्ट कीजिए):

1. (व्यक्तिगत की दशा में) श्री/श्रीमती .....  
पुत्र श्री/श्रीमती .....  
तहसील ..... जिला ..... राज्य .....  
या

(फर्म/सोसाइटी/कंपनी/सक्षम प्राधिकारी की दशा में) **श्री भगवंतहरि इंफ्राटेक प्रा.लि.** .....  
फर्म/सोसाइटी/कंपनी सक्षम प्राधिकारी .....  
कार्यालय/कारोबार का प्रमुख स्थान होगा। **M.No.5/1348 गुरु कृपा, देखा-रीवा** .....  
म.प्र.

2. यह पंजीयन निम्नलिखित शर्तों के अधीन मंजूर किया जाता है, अर्थात् -  
(एक) सम्प्रवर्तक "उपबंध-क" में यथा उपबंधित के साथ विक्रय हेतु करार करेगा।  
(दो) सम्प्रवर्तक धारा 17 के अनुसार कॉमन क्षेत्र या अपार्टमेंट के, जैसी भी स्थिति हो, आबंटिती के संघ या आबंटिती के पक्ष में हस्तांतरण विलेख को निष्पादित या पंजीकृत करेगा।  
(तीन) सम्प्रवर्तक धारा 4 की उपधारा (2) के खण्ड (1) के उपखण्ड (घ) के अनुसार निर्माण लागत तथा इस प्रयोजन के लिए उपयोग की जानेवाली भूमि की लागत को पूरा करने के लिए सम्प्रवर्तक द्वारा वसूली गई रकम का सत्तर प्रतिशत अनुसूचित बैंक में बनाए रखने के लिए अलग खाते में जमा करेगा।  
(चार) पंजीयन दिनांक **09-12-2021** ..... से शुरू करते हुए **08-12-2024** ..... के साथ समाप्त करते हुए ..... **03 (तीन)** ..... वर्ष की कालावधि के लिए वैध होगा, यदि अधिनियम की धारा 7 के साथ पठित धारा 8 के अनुसार रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण द्वारा नवीकृत नहीं कराया जाता है।  
(पांच) सम्प्रवर्तक इसके अधीन बनाए गए नियमों एवं विनियमों को अधिनियम के उपबंधों के साथ लागू करेगा।  
(छ) सम्प्रवर्तक क्षेत्र में लागू जहां परियोजना का विकास किया जा रहा है तत्समय किसी अन्य कानून के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करेगा।
3. यदि उक्त उल्लिखित शर्तें सम्प्रवर्तक द्वारा पूरी नहीं की जाती हैं, तो विनियामक प्राधिकारी अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों तथा विनियमों के अनुसार इसमें पंजीयन मंजूरी को प्रतिसंहत करते हुए सम्प्रवर्तक के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई कर सकेगा।

4. उक्त परियोजना प्रकृष्टा प्राधिकरण के आदेश में अंकित शर्तों के अधीन।

दिनांक : **09-12-2021**

स्थान : **भोपाल**

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा  
रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण